उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

NCTE

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART –III, SECTION 4

File No. NRC/NCTE/NRCAPP- 8420,7378, 7124, 8574, 8799, 8397, 6980, 8666, 9581, 7434, 695?? Dated: 3 1 MAY 2015
7027, 7210 & UP-3415/238th Meeting Part-V/

RECOGNITION ORDER 110 8991 – 64

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by these institutions, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against letter of intent under clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014 (earlier 7(9) of the NCTE Regulations, 2009), the Northern Regional Committee in its 238th Meeting Part-V held from May, 20-31, 2015 is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to the following Institutions for conducting Teacher Education Course with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2015-2016 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below :-

S. No.	File No.	Name of the Institution	Course	Duration	Approved annual Intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP-8420	Shri Lal Mahendra Shiv Shakti Degree College Fardapur Hardoi, Plot Number-89K, 92, 94, Street/Road- NA, Village/Town/City- Fardapur, Post Office- Bhodaicha, Tehsil/Taluka- Hardoi, Town/City- Hardoi, District- Hardoi (UP), State- UP, Pin Code- 241001	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	C.S.J.M. University, Kanpur, Uttar Pradesh
2.	NRCAPP-7378	ITM College of Education, Plot Number- 172 & 173, Street/Road- Mampur Bana, Village- Mampur Bana, Post Office – B.K.T., Tehsil/Taluka- BKT, Town/City- Lucknow, District– Lucknow (UP), State– Uttar Pradesh, Pin Code – 227202	B.Ed.	2 Years	100 (2 units)	Lucknow University, Lucknow Uttar Pradesh
3.	NRCAPP-7124	Sky Institute of Management And Technology for Girls, Plot Number- 272, Street /Road- Jaipurroad, Village/Town/City- Ladamda, Post Office- Bichpuri, Tehsil/Taluka- Sadar, Town/City- Agra, District- Agra(UP), State– Uttar Pradesh, Pin Code – 283105	B.Ed.	2 Years	100 (2 Units)	Dr. B.R.A. University, Agra (UP)
4.	NRCAPP-8574	S M S Mahavidyalaya Nagla Sanja Mathura, Plot Number- 708, Street/Road- Baruli Road, Village/Town/City- Nagla Sanja, Post Office- Nagla Sanja, Tehsil/Taluka- Mahavan, Town/City- Mathura, District- Mathura(UP), State- UP, Pin Code- 281501	B.Ed.	2 Years	100 (2 Units)	Dr. B.R.A. University, Agra (UP)
5.	NRCAPP-8799	Rajan Chandrika Mahavidyalaya, Plot/Khasara No.- 424, 426, 427, Street Number- Gulal Sarai, Village- Gulal Sarai, Post Office- Birbalpur, Tehsil/Taluka- Sadar, Town/City- Ghazipur, District- Ghazipur, Pin Code- 233226, State- Uttar Pradesh	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh
6.	NRCAPP-8397	Louis Institute of Education And Research, Plot Number- 363, Street/Road- NA,	B.Ed.	2 Years	100 (2 units)	Dr. B.R.Ambedkar Univeristy, Agra,

कार्यालय : चौथी मंजिल, जीवन निधी–II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल
भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302 005 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No 0141-2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173
Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle
Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-mail : nrc@ncte-india.org
Website : www.ncte-india.org

Scanned by CamScanner

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याः–सम्ब0/919/2021 दिनांकः– 31.07.2021

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

एस0एम0एस0 महाविद्यालय, नगला–संजा, मथुरा (कालेज कोड़–573)

विषयः– एस0एम0एस0 महाविद्यालय, नगला–संजा, मथुरा को बी0एड0 (द्विवर्षीय) शिक्षा संकाय स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सम्बद्धन/418/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं 6311(22) दिनांक 28.05.2018 तथा 9951(175) दिनांक 29.05.2019 एवं 248 (173) दिनांक 15.07.2020 के द्वारा एस0एम0एस0 महाविद्यालय, नगला–संजा, मथुरा को शिक्षा संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 01.07.2016 से आगामी दो वर्ष एवं दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक/दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 एवं दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन सम्बद्धता समिति के आदेशानुसार एस0एम0एस0 महाविद्यालय, नगला–संजा, मथुरा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनार्न्तगत एन0सी0टी0ई0 के तदक्रम में दिनांक 01.07.2021 से एक वर्ष दिनांक 30.06.2022 तक सम्बद्धता का विस्तारण उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र–डी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो निम्नवत् है प्रदान किया जाता है:–

1. शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण बैंक द्वारा प्रमाणित संलग्न नहीं है।

यह सम्बद्धता विस्तारण दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(1) महाविद्यालय को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

(2) महाविद्यालय द्वारा सदंर्भित कमियों की पूर्ति कर एक माह अर्थात 30 अगस्त, 2021 अथवा बी0एड0 काउन्सिलिंग 2021 में शामिल होने की तिथि, जो भी पहले हो, की अवधि में प्रवेश की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) महाविद्यालय द्वारा एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार छात्र व शिक्षक का अनुपात सदैव बनाये रखा जायेगा अर्थात एन0सी0टी0ई0 रेगूलेशन–2014 दिनांक 28.11.2014 के अनुसार एक यूनिट 50 छात्रों पर 11 शिक्षक एवं दो यूनिट 100 छात्रों पर 16 शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

(4) उ0प्र0 शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों/आदेशों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिशिचित किया जायेगा।

(5) संस्था प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

(6) संस्थान प्रवेश तथा परीक्षा आदि के सम्बन्ध में समय–समय पर उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय/एन0सी0टी0ई0 के दिशा–निर्देशों का सम्यक अनुपालन समग्रता से करना सुनिश्चित करेगा।

(7) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों को पूर्ण कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता शर्तें निरन्तर पूर्ण करेगा।

(8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(9) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2216/सत्तर–2–2011–16(92)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(10) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(11) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा तथा संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध मानकों के आधार पर निर्धारित सीट से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगा तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(12) संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगा एवं महाविद्यालय 210 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(13) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकशन (ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0–।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(14) महाविद्यालय द्वारा अग्निशमन का प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में तीन माह में विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, एस0एम0एस0 महाविद्यालय, नगला–संजा, मथुरा।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव

महावीर सिंह

Scanned by CamScanner